राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2011–II

जयपुर, दिनांकः 9.07.2018

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–20) की धारा 29 की उपधारा (I) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक विरतण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तरीय (परिपत्र दिनांक 23.05.2018), जिला, तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय (त्रिस्तरीय सतर्कता समिति गठन आदेश दिनांक 07.09.2017) सतर्कता समितियों का गठन स्थायी रूप से किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, शक्तियों एवं कार्यविधि के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप नियमों पर आम–जन से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.07.2018 से विभागीय वेब पोर्टल www.food.raj.nic.in पर प्रकाशित है।

उक्त प्रकाशित नियमों के संबंध में आप अपने सुझाव/आपत्तियां विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध लिंक http://food.raj.nic.in/Rules_Suggestions.aspx के माध्यम से संलग्न सुझाव/आपत्ति फार्म में अथवा किसी भी कार्य दिवस में खाद्य भवन, कमरा नं. 7026, शासन सचिवालय, जयपुर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 25.07.2018 तक प्रस्तुत कर सकते है।

(अंजू राजपाल) 09/07/18

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक .06.2018
9.07.2018

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–20) की धारा 29 की उपधारा (I) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तरीय (परिपत्र दिनांक 23.05.2018), जिला, तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय (त्रिस्तरीय सतर्कता समिति गठन आदेश दिनांक 07.09.2017) सतर्कता समितियों का गठन स्थायी रूप से किया गया है। राज्य सरकार गठित समितियों का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, शक्तियाँ एवं कार्यविधि एतद्द्वारा निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से अधिसूचित करती है:–

1. **राज्य स्तरीय सतर्कता समिति**

(अ) समिति का स्वरूप

I.	माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।	अध्यक्ष
II.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।	सदस्य
III.	शासन सचिव, सहकारिता विभाग।	सदस्य
IV.	शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।	सदस्य
V.	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।	सदस्य
VI.	शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,	सदस्य
VII.	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ।	सदस्य सचिव
VIII.	प्रबंध निदेशक, रा.रा.खा.ना.आ.निगम लि0, जयपुर।	सदस्य
IX.	निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग।	सदस्य
X.	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान विभाग।	सदस्य
XI.	प्रबंध निदेशक, राजफैड, सहकारिता विभाग।	सदस्य
XII.	प्रबंध निदेशक, तिलम संघ, सहकारिता विभाग।	सदस्य
XIII.	महाप्रबंधक, प्रशासन/वित्त/विपणन, रा.रा.खा.ना.आ.निगम लि0, जयपुर	सदस्य
XIV.	उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।	सदस्य
XV.	विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिलाओं एवं दिव्यांग को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा)।	सदस्य

(ब) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का कार्यक्षेत्र, शक्तियाँ एवं कार्यविधि

i. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा। समिति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों के कियान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेगी।

ii. राज्य स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बेहतर कियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु उक्तानुसार सतर्कता समिति स्थाई है, परन्तु विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित सदस्यो का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष होगा। नामांकित सदस्यों के दिवालिया, अपराध में दोषसिद्ध अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ होने या अपनें पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करने की दशा में नियुक्तिकर्ता द्वारा कार्यावधि से पूर्व भी हटाया जा सकेगा।

iii. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जिला, ब्लॉक एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा आयोजित बैठकों एवं उनमें की गई कार्यवाही की समीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को सीधे प्राप्त सतर्कता प्रकरणों पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेने का भी अधिकार होगा। प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम निर्णय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का होगा।

iv. गंभीर प्रकरणों में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार को आवश्यक कार्यदाही की अभिशंषा कर सकेगी।

v. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति कलेण्डर वर्ष के प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेगी। किसी त्रैमास में अन्तिम माह तक निर्धारित तिथि पर बैठक नहीं हो पाने की स्थिति में ऐसी बैठक आवश्यक रूप से आगामी त्रैमास के प्रथम माह में कर ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

vi. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हेतु निर्धारित कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित की जा सकेगी। आगामी तिथि पर स्थगित बैठक का आयोजन कोरम के अभाव में भी किया जा सकेगा।

vii. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा की गई बैठकों का कार्यवाही विवरण विभागीय पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा निर्णयों की पालना हेतु संबंधित जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी एवं विभागीय अधिकारीगण को प्रेषित किया जाएगा।

(स) जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

i. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
ii. जिले के समस्त सांसद	सदस्य
iii. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
iv. जिला प्रमुख	सदस्य
v. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
vi. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
vii. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
viii. उपभोक्ता संगठनों का एक प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
ix. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एस.सी., एस.टी., महिला एवं निःशक्त व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा।)	सदस्य
x. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(द) तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

i. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
ii. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड-अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)	उपाध्यक्ष
iii. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेंगा।	सदस्य
iv. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य
v. स्थानीय विधायक	सदस्य
vi. विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य
vii. उपभोक्ता संगठन का एक प्रतिनिधि (उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य
viii. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एस.सी., एस.टी., महिला एवं निःशक्त व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा।)	सदस्य
ix. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में कमांक 8 एवं 9 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(य) उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

(A) शहरी क्षेत्र के लिये

i. वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
ii. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
iii. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
iv. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एस.सी., एस.टी., महिला एवं निःशक्तजन को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनयन किया जायेगा।

(B) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

i. सरपंच	अध्यक्ष
ii. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
iii. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सदस्य
iv. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
v. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
vi. पंच (एक)	सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एस.सी., एस.टी. महिला एवं निःशक्तजन को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा।

(र) जिला, तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय समितियों की शक्तियां एवं कार्यविधिः–

जिला तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगीः–

खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्य

- खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति माह में एक बार आवश्यक रूप से बैठक करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित जिलें, उपखण्ड एवं पंचायत में कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा की सूची में समावेशन में वंचित नही रहे तथा कोई भी अपात्र खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त नही कर सकें।
- समिति सूचियों का समय–समय पर पुनर्विलोकन कर सकेगी तथा सक्षम स्तर पर वंचित पात्र व्यक्तियों एवं सूची में जुडे अपात्र व्यक्तियों की सूचना सप्रमाण सक्षम स्तर पर दे सकेगी तथा निष्कासन एवं समावेशन हेतु अभिशंषा कर सकेगी।
- समिति दूरस्थ–पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहुँचना कठिन है, वहाँ निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देगी।

- समिति खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरण की प्रभावी सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी तथा उसे सक्षम स्तर पर अपनी संपरीक्षाऐं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकेगी।
- समिति उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, आपूर्ति–पहुँच एवं वितरण पर निगरानी रखेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य दुकान समय पर खुलती है एवं बन्द होती है।
- समिति समय–समय पर यह सुनिश्चित करेगी कि खाद्यान्न/राशन सामग्री का वितरण निर्धारित दर पर लाभार्थी को किया गया है।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियंत्रित वस्तुओं के नमूने (सैम्पल) भी प्रत्येक दुकानपर रखे जायें।
- समिति द्वारा की गई मीटिंगों के कार्यवाही विवरण हेतु एक रजिस्टर का संधारण किया जावेगा तथा बैठक का विवरण सक्षम स्तर पर यथा, उचित मूल्य दुकान संबंधी कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड स्तरीय समिति का विवरण जिला कलक्टर एवं जिला स्तरीय समिति का विवरण विभाग/राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, जिस पर सक्षम स्तर के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- समिति बोगस/फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करवाने संबंधी अभिशंषा कर सकेगी।
- संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में स्थित सतर्कता समितियों की होने वाली बैठकों में आवश्यक रूप से भाग ले तथा सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के संचालन बाबत अधिक से अधिक जानकारी दे एवं उनके मार्फत इन दुकानों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।
- समिति के सदस्यों को उचित मूल्य दुकान के रिकॉर्ड के अवलोकन का अधिकार होगा।
- समिति सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा तौल हेतु प्रमाणित बाट–माप का प्रयोग किया जावें।
- समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सारगर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो बाद जांच मनोनयन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात् ऐसे सदस्य को हटाया जा सकेगा।
- सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

[संख्या 17(15)खा.वि./न्याय/2010–II]
राज्यपाल की आज्ञा से,

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

संख्या 17(15)खा.वि./न्याय/2010–II जयपुर, दिनांक .06.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि जिले में कार्यरत समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार तथा प्रवर्तन कार्मिकों को उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ भिजवाना सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सीडी सहित प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के राजपत्र विशेषांक में आज ही प्रकाशन कराया जाकर 50 प्रतियों सहित विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
12. रक्षा पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव